प्रेस विज्ञप्ति

22.03.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण, पटना (आरसीटी) घोटाले से संबंधित धन-शोधन मामले के संबंध में 8.02 करोड़ रुपये की 24 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है और 21.03.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है, जिसमें संपत्ति जब्त करने और आरोपी व्यक्तियों एडवोकेट बिद्यानंद सिंह, एडवोकेट परमानंद सिन्हा, एडवोकेट कुमारी रिंकी सिन्हा, अर्चना सिन्हा, विजय कुमार, निर्मला कुमारी और मेसर्स हरिजग बिजनेस एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को पीएमएलए, 2002 के तहत दोषी ठहराने की मांग की गई है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना ने 21.03.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, पटना द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें रेलवे के अज्ञात लोक सेवकों, बिद्यानंद सिंह, परमानंद सिंह, विजय कुमार और अन्य के खिलाफ आरसीटी में दर्ज, संसाधित और तय किए गए मृत्यु दावा मामलों में बड़े पैमाने पर अनियमितता/आपराधिकता के संबंध में आईपीसी, 1860 की धारा 120-बी, 420 और पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 7 ए के तहत जांच शुरू की। एफआईआर के अनुसार, उक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में, आकस्मिक मृत्यु दावा मामलों में, वास्तव में दावेदारों को दिए गए निर्धारित राशि का केवल एक हिस्सा दावेदारों द्वारा प्राप्त किया गया था और बड़ा हिस्सा षड्यंत्रकारियों द्वारा हड़प लिया गया था।

ईडी की जांच में पता चला कि एडवोकेट बिद्यानंद सिंह और उनके अधिवक्ताओं की टीम ने **900 से अधिक मामलों** का निपटारा किया जहां न्यायाधीश श्री आरके मित्तल द्वारा डिक्री/निष्पादन आदेश जारी किए गए थे। यह पता चला है कि अधिवक्ता बिदयानंद सिंह और उनके वकीलों की टीम ने दावेदारों की जानकारी के बिना उनके बैंक खाते खोले और उनका संचालन किया। उन्होंने रेलवे से प्राप्त दावे की राशि को अपने खातों में या नकद निकासी के लिए इन दावेदारों के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान का इस्तेमाल किया। जांच से पता चला है कि दावेदारों के बैंक खाते से वकीलों के बैंक खातों में **10.27 करोड़ रुपये** की भारी रकम ट्रांसफर की गई, **जो** उनके द्वारा अर्जित अपराध की कमाई के अलावा और कुछ नहीं है।

उक्त अधिवक्ताओं और उनकी पत्नियों ने अपराध की आय को छिपाने और इसे बेदाग दिखाने के लिए अपराध की आय का उपयोग करके अपने नाम और उनके द्वारा नियंत्रित एक कंपनी के नाम पर 24 अचल संपत्तियां अर्जित कीं। ये अचल संपत्तियां पटना, नालंदा , गया (बिहार) और नई दिल्ली में स्थित हैं।

इससे पहले इस मामले में वकीलों और न्यायाधीश श्री आर.के. मित्तल से जुड़े परिसरों पर तलाशी ली गई थी । एडवोकेट बिद्यानंद सिंह, एडवोकेट परमानंद सिन्हा और विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल वे सभी न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच जारी है।